भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1485

04 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत लाभार्थियों को शामिल करना

1485. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि सभी पात्र लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में शामिल किया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले खाद्यान्नों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भीतर लीकेज और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बनाई गई रणनीतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित होती है। इस अधिनियम के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रचालन केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। केंद्र सरकार एफसीआई के निर्दिष्ट डिपुओं तक खाद्यान्नों की खरीद, आबंटन और परिवहन के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों के आबंटन और वितरण, पात्र लाभार्थियों/परिवारों की पहचान, उनको राशन कार्ड जारी करना और उचित दर दुकानों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण एवं निगरानी संबंधी प्रचालनात्मक जिम्मेदारियां राज्य सरकार की होती हैं।

केंद्र सरकार ने समय-समय पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समाज के कमजोर वर्गों सहित पात्र और गरीब व्यक्तियों/परिवारों को इस अधिनियम के तहत शामिल करने के लिए एडवाइजरी जारी की है।

....2/-

(ग) और (घ): एनएफएसए के तहत टीपीडीएस के माध्यम से केवल अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्न जारी किए जाते हैं जो कीट संक्रमण से मुक्त होते हैं और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप होते हैं।

(ङ.): इस अधिनियम में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य सरकार एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेगी और इस अधिनियम के तहत पात्र खाद्यान्नों के वितरण करने एवं पात्रता को लागू करने संबंधी मामलों में पीडित व्यक्तियों की शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निपटान के लिए प्रत्येक जिले में जिला शिकायत निपटान अधिकारी की नियुक्ति/नामांकन करेगी। इस अधिनियम में इसके कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा के लिए राज्य खाद्य आयोग के गठन/नामांकन का भी प्रावधान है।

एनएफएसए लाभार्थियों द्वारा संपर्क करने और उनकी शिकायतों के निवारण तथा किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हेल्पलाइन नंबर 1967/1800-स्टेट सीरीज नंबर चालू है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के प्रावधानों के उल्लंघन संबंधी अपराध, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार, यह आदेश राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को इन आदेशों के प्रासंगिक प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार देता है।

इस विभाग में जब भी किसी स्रोत से लीकेज और भ्रष्टाचार सहित शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो जांच और उचित कार्रवाई के लिए उन्हें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को भेजा जाता है।

*****